देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com
(A Digital Media Initiative to promote Accountability)

रेफरेंस संख्या –2021/ak/07 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शुक्रवार, 1 अक्तूबर 2021

अवैध खनन के विरुद्ध आमजन

भाग-3

बीकानेर की छोटी नाल क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन का नंगा सच!!!!

क्या जयचंद लाल डागा कंपनी और बीकानेर के एमई श्री बलारा बताएँगे कि फोटो में दिख रहे,बाल-क्ले के 80-80 फीट ऊंचे पहाड़ किसकी जमीन खोदकर खड़े किये गये है?

आखिर बीकानेर खान विभाग के अधिकारियों द्वारा विभाग के एसीएस श्री सुबोध अग्रवाल को जयचंद लाल डागा की खानों का निरीक्षण क्यूँ नहीं करवाया गया?

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

खनिज विभाग का दावा;आधुनिक तकनीक से लगा रहे अवैध खनन पर लगाम!!!

तकनीक का सहारा : अब तक का सबसे बड़ा एक्शन, ₹30 करोड़ का जुर्माना

ड्रोन ने खोला अवैध खनन व ई-रवन्ने में गड़बड़ी का खेल, 44 लीजों पर रोक

भास्कर न्यूज | जयपुर

खान विभाग में अवैध खनन की रोकथाम के लिए ड्रोन से निगरानी एक बड़ी भूमिका में आ गई है। हाल ही में विभाग के इंजीनियरों ने गोटन नागौर में ड्रोन से अवैध बजरी खनन की मॉनिटरिंग के जरिए बड़ी गड़बड़ी पकड़ी और 44 खनन लीज के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए करीब 30 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही इन लीजों पर खनन कार्य भी बंद करवा दिया है। लीजधारकों को एक महीने में जुर्माना राशि जमा कराने का समय दिया गया है। समय पर जुर्माना नहीं होने पर लीज निरस्त करने के नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

नेताओं के मुखर होने के बाद से एक्शन में आया खान विभाग

प्रदेश में अवैध खनन को लेकर हाल ही में कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता मुखर हुए हैं। इन नेताओं के विरोध के बाद से ही विभाग लगातार एक्शन में है। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपेंद्र सिंह शेखावत ने एक बैठक में अवैध खनन का मुद्दा उठाया, तो इसके बाद विभाग अवकाश के दिन ही एक्शन में आ गया है। विभाग अब ड्रोन से सर्वे और उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन करके एक्शन लेने की रणनीति पर भी फोकस है।

ऐसे समझें गड़बड़ी का खेल

विभाग के अनुसार नागौर गोटन में एक जगह 46 लीज पट्टे हैं। इनकी मॉनिटरिंग ड्रोन से कर गड्ढों का क्षेत्रफल नापा गया। इसके बाद लीजधारक द्वारा जारी किए गए ई-रवन्नों की पड़ताल की गई। गड्ढों की गहराई और ई-रवन्नों की क्रॉस पड़ताल में सामने आया कि लीजधारकों ने अपने ई-रवन्ने अवैध बजरी खनन के लिए दूसरों को बेचे थे। यानी की दूसरी जगह के अवैध खनन को वैध बनाया था। इन 46 की पड़ताल में 44 के यहां गड़बड़ी मिलने पर करीब 30 करोड़ रु. का जुर्माना लगाकर खनन बंद करा दिया गया है।

जयपुर में सप्लाई हो सकती है प्रभावित

इन 46 लीजों के बंद होने से जयपुर में बजरी सप्लाई मामूली रूप से प्रभावित हो सकती है। हालांकि विभाग के इंजीनियरों का मानना है कि जयपुर में कमी आई तो टोंक, कोटड़ी, भीलवाड़ा आदि जगहों की सप्लाई से भरपाई हो जाएगी।

आदेशः अनुमोदित जगहों से जारी हो ई-रवन्ना

एसीएस सुबोध अग्रवाल के निर्देश के बाद प्रदेशभर में इंजीनियरों ने खनन संचालकों को नोटिस जारी करके अनुमोदित स्थान से ही ई-रवन्ना के निर्देश जारी कर दिए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि अवैध खनन के परिवहन पर लगाम लगें और सीधे तौर पर अवैध थम जाएगा।

राजस्थान सरकार के खान विभाग के दावे के अनुसार राज्य मे बढ़ते अवैध खनन के मामलों के चलते अब ड्रोन के द्वारा अवैध खनन पर लगाम लगाने की तैयारियां की जा रही है|विभाग के अनुसार नागौर गोटन मे चल रही 46 खनन पट्टों की मॉनिटरिंग ड्रोन से कर गड्ढों का क्षेत्रफल नापा गया इसके बाद लीजधारक द्वारा जारी किए गए ई रवन्ना पत्रों की पड़ताल की गयी गड्ढों की गहराई और ई रवन्नो की क्रॉस पड़ताल मे सामने आया कि लीजधारकों ने अपने ई रवन्ने अवैध खनन के लिए दूसरों को बेचे है|यानि कि दूसरी जगह के अवैध खनन को वैध बनाया गया था|इन 46 की पड़ताल मे 44 के यहाँ गड़बड़ी मिलने पर करीब 30 करोड़ का जुर्माना लगाकर खनन बंद करवाया गया|

बीकानेर जिले की बड़ी कंपनी मैं॰जयचंद लाल डागा द्वारा विभिन्न खनन पट्टों की आड़ मे किए जा रहे अवैध खनन की सेटेलाइट व ड्रोन तकनीक द्वारा उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग ठंडे बस्ते मे|

बीकानेर के ग्राम नाल छोटी और उसके आस-पास के क्षेत्रों मे कंपनी मैं॰जयचंद लाल डागा को कई खनन पट्टे आवंटित है|स्थानीय समाचार पत्रों मे प्रकाशित खबरों और अवैध खनन के संबंध मे प्राप्त शिकायतों से ज्ञात हुआ है कि बीकानेर जिले की बड़ी कंपनी मैं॰जयचंद लाल डागा द्वारा विभिन्न खनन पट्टों की आड़ मे अवैध खनन कार्य किया जा रहा है|कंपनी के अवैध खनन के मामले कई जागरूक नागरिकों द्वारा स्थानीय खान विभाग के अधिकारियों के संज्ञान मे लाये गए परंतु कंपनी के ऊंचे रसूखातों और बीकानेर के वर्तमान खनिज अभियंता श्री राजेन्द्र बलारा के भ्रष्ट आचरण के चलते इन सभी शिकायतों को या तो रद्दी मे फेंक दिया जाता है या फिर ऊटपटाँग जवाब देकर अपने उच्च अधिकारियों को गुमराह कर दिया जाता है|इस मामले मे हमारे द्वारा सेटेलाइट व ड्रोन तकनीक द्वारा उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग पिछले महीने की गयी थी लेकिन अब तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हो पायी है,जिससे अवैध खनन कर्ता कंपनी को अवैध खनन से हुए गड्ढों को बूरने का समय मिल रहा है|

बीकानेर के छोटी नाल क्षेत्र के खसरा नंबरान 97,194 एवं खसरा संख्या 971/195 पर पड़ा है अवैध खनन से निकाला गया करीब एक लाख टन क्ले का अवैध भंडार

अवैध खनन और अवैध खनन से खड़े हुए पहाड़ों की चंद तस्वीरे

आपको बता दें कि जयचंद लाल डागा कंपनी द्वारा बीकानेर के छोटी नाल क्षेत्र के खसरा नंबरान 97,194 एवं खसरा संख्या 971/195 पर निकट की सरकारी जमीन से अवैध खनन कर निकाला गया करीब एक लाख टन क्ले का अवैध भंडारण किया गया है|मौके पर खड़े 80-80 फीट से ऊंचे पहाड़ इस अवैध खनन की सच्चाई चीख चीख कर बयान कर रहे है,लेकिन अवैध खनन का यह नंगा सच ना तो बीकानेर जिले मे बैठे खान विभाग के अधिकारियों को दिखता है और ना ही बीकानेर ने कोसो दूर उदयपुर और जयपुर मे बैठे विभाग के आला अधिकारियों को|खान विभाग के आला अधिकारी सेटेलाइट व ड्रोन तकनीक द्वारा लाख अवैध खनन के मामले पकड़ने की बात कर रहे है लेकिन इस अवैध खनन भंडारण का जवाब ना तो खननकर्ता कंपनी के पास है और नाही बीकानेर के एमई साहब के पास|जानकारों के अनुसार ऐसे अवैध खनन के भंडारण इसी कंपनी के अन्य खनन पट्टो पर भी नजर आ जाएंगे लेकिन जिम्मेदार है कि जबरन आँख मूँदे और जुबान पर ताला लगाए बैठे है|यदि विभाग इस मामले की संजीदगी से जांच करे तो करोड़ो रुपयों के राजस्व की चोरी पकड़ी जाने की संभावना है|

पूर्व मे भी किया जा चुका है इस अवैध खनन भंडारण मे से हजारों टन खनिज का परिवहन|

जमीन मालिकों के अनुसार जमीन मालिकों द्वारा खान विभाग से सूचना के अधिकार के तहत निकलवाये दस्तावेजों के अनुसार,कंपनी द्वारा खनन पट्टे 16/2006 हेतु वर्ष 2017-18 मे विभाग से 38816 टन का रवन्ना जारी करवाया गया लेकिन दोनों जमीन मालिकों के अनुसार इस दरमियान उनकी जमीन पर कोई खनन कार्य कंपनी द्वारा नहीं किया गया|यदि यह माल सरकारी और सरप्लस की जमीन से अवैध खनन करके निकाला गया है तो इस 38816 टन के माल पर रॉयल्टी राशि का 10 गुना पेनल्टी वसूलने का प्रावधान है जिसके अनुसार इस कंपनी से 3 करोड़ से अधिक की पेनल्टी वसूल करने का मामला भी बन सकता है|जमीन मालिकों के अनुसार इस बाल-क्ले के इस अवैध भंडारण मे से पिछले एक साल मे सैकड़ों टन अवैध खनन का परिवहन कर बेचा जा चुका है जिसकी भी विभाग को जांच करवाकर वसूली की जानी चाहिए|

जवाब मांगते सवाल?

1. आखिर क्या वजह है कि बीकानेर का छोटी नाल क्षेत्र अवैध खनन की शरण स्थली होने की वजह से चर्चाओं मे बना हुआ है|
2. क्या खान विभाग के अधिकारियों द्वारा पूर्व मे कंपनी के अवैध खनन के संबंध मे की गयी शिकायतों के क्रम मे मौके पर जाकर जांच की है?यदि उनके द्वारा वास्तव मे मौका मुआयना किया गया तो उन्हे क्ले का यह अवैध भंडारण क्यूँ नजर नहीं आया?आखिर क्यूँ विभाग के अधिकारियों द्वारा खनन के इस अवैध भंडारण के संबंध मे सवाल-जवाब नहीं किए?
3. पिछले माह जब विभाग के एसीएस श्री सुबोध अग्रवाल द्वारा बीकानेर जिले का दौरा किया गया तो क्यूँ जिले के अधिकारियों के हाथ-पाँव फूल गए थे?आखिर क्यूँ जिले के अधिकारियों द्वारा श्री सुबोध अग्रवाल को शहर से सबसे दूर स्थित खान का निरीक्षण करवाया गया?
4. क्या कंपनी के पास इस क्ले के अवैध भंडारण से जुड़े दस्तावेज़ है?क्या खान विभाग के अधिकारियों ने इन दस्तावेजों की जांच की है?
5. जयचंद लाल डागा कंपनी द्वारा छोटी नाल क्षेत्र मे खनन पट्टो की आड़ मे माईनिंग प्लान की धज्जियां उड़ाई जा रही है,जिससे हो रहे पर्यावरण नुक्सान का जिम्मेदार कौन है?
6. आखिर खान विभाग के अधिकारी सेटेलाइट इमेज और एरीयल मैप द्वारा जयचंद लाल डागा कंपनी द्वारा किए जा रहे अवैध खनन की जांच क्यूँ नहीं कर रहे है?
7. आखिर क्यूँ खान विभाग के अधिकारी ही खान विभाग को करोड़ों रुपयों के राजस्व का चुना लगा रहे है?
8. आखिर क्यूँ श्री बलारा इस मामले मे सूचना के अधिकार के तहत सूचना नहीं देने के लिए तृतीय पक्ष का सहारा ले रहे है?